न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
383 / 2023	22.11.2023	26.02.2024

उनवान

1. गोपीलाल पुत्र उदयराम गाडरी निवासी बिलियाखुर्द, भीलवाड़ा
2. घीसुलाल पुत्र उदयराम गाडरी निवासी बिलियाखुर्द, भीलवाड़ा
3. नन्दलाल पुत्र उदयराम गाडरी निवासी बिलियाखुर्द, भीलवाड़ा
4. कालु पुत्र स्व0 नारायणलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द, भीलवाड़ा
5. सीता पुत्री स्व0 नारायणलाल गाडरी धर्मपत्नी हंसराज गाडरी निवासी पांसल, भीलवाड़ा
6. प्रियंका पुत्री स्व0 नारायणलाल गाडरी धर्मपत्नी रतन गाडरी निवासी बिलियाखुर्द, भीलवाड़ा
7. मुकेश पुत्र स्व0 नारायणलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द भीलवाड़ा
8. नानु बाई पत्नी स्व0 नारायणलाल गाडरी निवासी बिलियाखुर्द भीलवाड़ा
9. भेरू पुत्र भुरा गाडरी निवासी बिलियाखुर्द, भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्पित जैन पुत्र अनिल कुमार जैन निवासी जैन पार्श्वनाथ सोसायटी, भीलवाड़ा
2. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल गाडरी निवासी पुर भीलवाड़ा
3. केसरबाई पत्नी हीरालाल गाडरी निवासी पुर भीलवाड़ा
4. प्यारचन्द पुत्र हीरालाल गाडरी निवासी पुर भीलवाड़ा
5. बद्रीलाल पुत्र हीरालाल गाडरी निवासी पुर भीलवाड़ा
6. मीठालाल पुत्र खुबचन्द सिघंवी निवासी ए– 151, 152 कुमुद विहार, भीलवाड़ा
7. यश सिंघवी पुत्र मीठालाल सिघंवी निवासी ए– 151, 152 कुमुद विहार, भीलवाड़ा
8. संतोक बाई पत्नी हीरालाल गाडरी निवासी पुर भीलवाड़ा
9. संतोष देवी पत्नी मीठालाल सिघंवी निवासी ए– 151, 152 कुमुद विहार, भीलवाड़ा
10. हरलाल पुत्र हीरालाल गाडरी निवासी पुर भीलवाड़ा
11. नारायणसिंह पुत्र सज्जन सिंह राजपुत निवासी बिलियाखुर्द भीलवाड़ा
12. लक्ष्मी नायक पत्नी अम्बालाल नायक निवासी मकान नं. 17 जैन कॉलोनी न्यु भोपालपुरा, गिर्वा तह0 गिर्वा जिला उदयपुर राज0
13. नवल सिंह पुत्र जीवणसिंह चौधरी निवासी भीलवाड़ा
14. सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी रणवीर सिंह राणावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिलियाखुर्द प0ह0 हरणीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 128 की अभिलिखित आराजियात 1261/1 कुल किता 01 कुल रकबा 2.4531 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बिलियाखुर्द प0ह0 हरणीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 128 की अभिलिखित आराजियात 1261/1 कुल किता 01 कुल रकबा 2.4531 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा